

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : ई/चिअ/राजपत्रित/पीजी/2026/230 दिनांक : 25/06/2026

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर/
एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर/
आरयूएचएस जयपुर/जेएलएन मेडिकल कॉलेज
अजमेर/एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर/
राजकीय मेडिकल कॉलेज कोटा/
एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर/
आरवीआरएस मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा/
ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल अलवर।

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
जिला/सामान्य चिकित्सालय,
झुन्झुनु/सवाईमाधोपुर/अजीतगढ़ सीकर।

विषय:- सेवारत कोटे से पीजी करने वाले चिकित्सकों के अध्ययन/असाधारण अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन पत्रों में आक्षेपों की पूर्ति करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सेवारत कोटे से पीजी/डीएनबी करने वाले चिकित्सकों के अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में निम्न कमियाँ रही हैं जो इस प्रकार हैं :-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक	मेडिकल कॉलेज का नाम	विभाग का नाम	पाई गई कमियाँ।
1	डॉ० विकास पायल	मेडिकल कॉलेज उदयपुर	न्यूरोलोजी	चेकलिस्ट एवं पीएल फॉर्म नियंत्रण अधिकारी द्वारा अंग्रेषित नहीं है। कोर्स हेतु कार्यमुक्त आदेश की प्रति संलग्न नहीं है। यदि पूर्व में अध्ययन अवकाश का लाभ प्राप्त किया गया है, तो अध्ययन अवकाश आदेश की प्रति संलग्न करावे।
2	डॉ० गौरव कलाल	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	ईएनटी	नियमित वेतन श्रृंखला स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न नहीं है।
3	डॉ० नवीन कुमार गुप्ता	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	टीबी एण्ड चेस्ट	प्राप्त बॉण्ड में एक गवाह का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
4	डॉ० जितेन्द्र कुमार यादव	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	शिशु रोग	प्राप्त बॉण्ड में एक गवाह का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
5	डॉ० पुष्पेन्द्र कुमार सैनी	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	शिशु रोग	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
6	डॉ० प्रियादर्शना	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	शिशु रोग	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
7	डॉ० निशा भडिया	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	चर्म एवं रति रोग	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
8	डॉ० राशि सोनी	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	स्त्री एवं प्रसूति रोग	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का पूर्ण स्थाई पता स्पष्ट अंकित नहीं है।
9	डॉ० कविता कुमारी	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	मेडिसिन	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
10	डॉ० प्रमोद शर्मा	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	मेडिसिन	प्राप्त बॉण्ड के प्रथम पृष्ठ पर चिकित्सक के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
11	डॉ० अनिल कुमार सैनी	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	शिशु रोग	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
12	डॉ० सुरेन्द्र कुमार	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	नेत्र रोग	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
13	डॉ० महिपाल सिंह रोयल	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	मनोरोग	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
14	डॉ० माधुरी चौधरी	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	पैथोलोजी	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।

15	डॉ० मुकेश तंवर	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	एनाटोमी	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
16	डॉ० पूजा चौधरी	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	रेडियोडायग्नोसिस	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
17	डॉ० भावेश कुमार सोनी	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	रेडियोडायग्नोसिस	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
18	डॉ० भोज राज	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	फोरेन्सिक मेडिसिन	अध्ययन अवकाश के स्थान पर असाधारण अवकाश का बन्ध प्रस्तुत किया गया है, जो कि अमान्य है। अध्ययन अवकाश हेतु राजस्थान सेवा नियम 121 ए के प्रारूप में 80 लाख व पीजी के बाद 5 वर्ष की राजकीय सेवा का बॉण्ड प्रस्तुत करावे।
19	डॉ० दीपक कलाल	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	फोरेन्सिक मेडिसिन	नियमित वेतन श्रृंखला स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न नहीं है।
20	डॉ० उपासना सर्वा	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	मेडिसिन	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
21	डॉ० ललित पाडिया	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	शिशु रोग	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
22	डॉ० अमन कुमार मीना	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	अस्थि रोग	प्राप्त बॉण्ड में एक गवाह का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
23	डॉ० हेमन्त सोलंकी	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	निश्चेतन	अध्ययन अवकाश हेतु संलग्न बॉण्ड अमान्य है। अध्ययन अवकाश हेतु राजस्थान सेवा नियम 121 ए के प्रारूप में 80 लाख व पीजी के बाद 5 वर्ष की राजकीय सेवा का बॉण्ड प्रस्तुत करावे।
24	डॉ० पूजा शर्मा	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	ईएनटी	प्राप्त बॉण्ड में एक गवाह का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
25	डॉ० पारुल मीना	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	नेत्र रोग	प्राप्त बॉण्ड के प्रथम पृष्ठ पर चिकित्सक के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
26	डॉ० रितिक धारणिया	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	नेत्र रोग	अध्ययन अवकाश हेतु संलग्न बॉण्ड अमान्य है। अध्ययन अवकाश हेतु राजस्थान सेवा नियम 121 ए के प्रारूप में 80 लाख व पीजी के बाद 5 वर्ष की राजकीय सेवा का बॉण्ड प्रस्तुत करावे।
27	डॉ० साहिल मिठा	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	मेडिसिन	प्राप्त बॉण्ड के प्रथम पृष्ठ पर चिकित्सक के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
28	डॉ० अक्षिता आर्य	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	स्त्री एवं प्रसूति रोग	प्राप्त बॉण्ड के प्रथम पृष्ठ पर चिकित्सक के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
29	डॉ० अनमोल मिठा	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	रेडियेशन ऑन्कोलोजी	प्राप्त बॉण्ड के प्रथम पृष्ठ पर चिकित्सक के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। प्राप्त बॉण्ड में एक गवाह का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
30	डॉ० राजेश कुमार मीना	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	शिशु रोग	प्राप्त बॉण्ड में एक गवाह का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
31	डॉ० नीतू कुमारी	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	ईएनटी	निर्धारित बन्ध पत्र संलग्न नहीं है।
32	डॉ० अन्ज कुमारी मुडोतिया	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	शिशु रोग	निर्धारित बन्ध पत्र संलग्न नहीं है।
33	डॉ० हिमानी शर्मा	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	रेडियोडायग्नोसिस	निर्धारित बन्ध पत्र संलग्न नहीं है।
34	डॉ० महक भास्कर	आरयूएचएस जयपुर	पैथोलोजी	प्राप्त चैकलिस्ट में चिकित्सक के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

35	डॉ० श्रवणराम खिलेरी	मेडिकल कॉलेज अजमेर	एनाटोमी	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का नाम एवं पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
36	डॉ० सविता मीना	मेडिकल कॉलेज अजमेर	एनाटोमी	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का नाम एवं पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
37	डॉ० राकेश गुर्जर	मेडिकल कॉलेज अजमेर	शिशु रोग	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
38	डॉ० शिम्भू	मेडिकल कॉलेज अजमेर	एनाटोमी	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
39	डॉ० मिन्दू यादव	मेडिकल कॉलेज अजमेर	नेत्र रोग	प्राप्त बॉण्ड में एक गवाह का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
40	डॉ० पवन मेहता	मेडिकल कॉलेज अजमेर	सर्जरी	प्राप्त बॉण्ड के प्रथम पृष्ठ पर चिकित्सक के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
41	डॉ० ऋषभ दत्ता	मेडिकल कॉलेज अजमेर	रेडियोडायग्नोसिस	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
42	डॉ० बबली जाट	मेडिकल कॉलेज जोधपुर	इमरजेन्सी मेडिसिन	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
43	डॉ० रुबीना बानो	मेडिकल कॉलेज जोधपुर	चर्म एवं रति रोग	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
44	डॉ० पूजा ढिलन	मेडिकल कॉलेज जोधपुर	चर्म एवं रति रोग	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
45	डॉ० नेमीचन्द	मेडिकल कॉलेज जोधपुर	चर्म एवं रति रोग	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
46	डॉ० पल्लवी सोनी	मेडिकल कॉलेज जोधपुर	चर्म एवं रति रोग	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
47	डॉ० सीताराम	मेडिकल कॉलेज जोधपुर	फॉर्मकोलोजी	प्राप्त बॉण्ड के प्रथम पृष्ठ पर चिकित्सक के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
48	डॉ० नवीन विश्वासी	मेडिकल कॉलेज जोधपुर	बायोकेमिस्ट्री	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
49	डॉ० संतोष चौधरी	मेडिकल कॉलेज जोधपुर	स्त्री एवं प्रसूति रोग	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का नाम अंकित नहीं है।
50	डॉ० संजय सिंह	मेडिकल कॉलेज जोधपुर	माइक्रोबायोलोजी	प्राप्त बॉण्ड के प्रथम पृष्ठ पर चिकित्सक के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का नाम एवं पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
51	डॉ० हिमांशी परनामी	मेडिकल कॉलेज जोधपुर	स्त्री एवं प्रसूति रोग	प्राप्त बॉण्ड के प्रथम पृष्ठ पर चिकित्सक के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का नाम एवं पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
52	डॉ० नेहा सुवालका	मेडिकल कॉलेज जोधपुर	माइक्रोबायोलोजी	अध्ययन अवकाश हेतु संलग्न बॉण्ड अमान्य है। अध्ययन अवकाश हेतु राजस्थान सेवा नियम 121 ए के प्रारूप में 80 लाख व पीजी के बाद 5 वर्ष की राजकीय सेवा का बॉण्ड प्रस्तुत करावे।
53	डॉ० आकांक्षा अग्रवाल	मेडिकल कॉलेज जोधपुर	पैथोलोजी	अध्ययन अवकाश हेतु संलग्न बॉण्ड अमान्य है। अध्ययन अवकाश हेतु राजस्थान सेवा नियम 121 ए के प्रारूप में 80 लाख व पीजी के बाद 5 वर्ष की राजकीय सेवा का बॉण्ड प्रस्तुत करावे।
54	डॉ० हेमेश्वर बंशीवाल	मेडिकल कॉलेज जोधपुर	मेडिसिन	प्राप्त बॉण्ड के प्रथम पृष्ठ पर चिकित्सक के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का पूर्ण स्थाई

				पता अंकित नहीं है।
55	डॉ0 नारायण राम	मेडिकल कॉलेज जोधपुर	रेडियोडायग्नोसिस	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का नाम अंकित नहीं है।
56	डॉ0 सुरभि सैनी	मेडिकल कॉलेज जोधपुर	स्त्री एवं प्रसूति रोग	अध्ययन अवकाश हेतु संलग्न बॉण्ड अमान्य है। अध्ययन अवकाश हेतु राजस्थान सेवा नियम 121 ए के प्रारूप में 80 लाख व पीजी के बाद 5 वर्ष की राजकीय सेवा का बॉण्ड प्रस्तुत करावे।
57	डॉ0 अविरल नागर	मेडिकल कॉलेज जयपुर	पिडियाट्रिक सर्जरी	प्राप्त पीएल फॉर्म (अवकाश आवेदन पत्र) नियंत्रण अधिकारी द्वारा अग्रेषित नहीं है।
58	डॉ0 गिराज प्रसाद शर्मा	मेडिकल कॉलेज जयपुर	यूरोलोजी	कोर्स हेतु निदेशालय द्वारा जारी कार्यमुक्ति आदेश संलग्न नहीं है।
59	डॉ0 जगदेव पंवार	मेडिकल कॉलेज जयपुर	मेडिसिन	प्राप्त बॉण्ड में एक गवाह का नाम/हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
60	डॉ0 ललित कुमार	मेडिकल कॉलेज जयपुर	मेडिसिन	प्राप्त बॉण्ड के प्रथम पृष्ठ पर चिकित्सक के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
61	डॉ0 इन्दु बाला	मेडिकल कॉलेज जयपुर	निश्चेतन	प्राप्त बॉण्ड के प्रथम पृष्ठ पर चिकित्सक के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
62	डॉ0 अंकुर पारीक	मेडिकल कॉलेज जयपुर	फॉरेन्सिक मेडिसिन	प्राप्त बॉण्ड में एक गवाह का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है। पीजी कोर्स हेतु कार्यमुक्ति आदेश की प्रति संलग्न नहीं है। पीजी कोर्स में कार्यग्रहण रिपोर्ट की प्रति संलग्न नहीं है।
63	डॉ0 नेहा यादव	मेडिकल कॉलेज जयपुर	स्त्री एवं प्रसूति रोग	प्राप्त बॉण्ड के प्रथम पृष्ठ पर चिकित्सक के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
64	डॉ0 पवन कुमार मीना	मेडिकल कॉलेज जयपुर	आईएचटीएम	प्राप्त बॉण्ड में एक गवाह का पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
65	डॉ0 रक्षा पाठक	मेडिकल कॉलेज झालावाड़	पीएसएम	प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का नाम अंकित नहीं है।
66	डॉ0 अमित कुमार शर्मा	मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा	सर्जरी	चैकलिस्ट एवं पीएल फॉर्म नियंत्रण अधिकारी द्वारा अग्रेषित नहीं है। अध्ययन अवकाश हेतु संलग्न बॉण्ड अमान्य है। अध्ययन अवकाश हेतु राजस्थान सेवा नियम 121 ए के प्रारूप में 80 लाख व पीजी के बाद 5 वर्ष की राजकीय सेवा का बॉण्ड प्रस्तुत करावे।
67	डॉ0 लोकेश कुमार काला	बीडीके चिकित्सालय शुन्धुनु	डीएनबी (नेत्र रोग)	प्रस्ताव बीडीके चिकित्सालय शुन्धुनु से प्रेषित करावे। पीएल फॉर्म नियंत्रण अधिकारी द्वारा अग्रेषित नहीं है। प्राप्त बॉण्ड के प्रथम पृष्ठ पर चिकित्सक के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का नाम एवं पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
68	डॉ0 अन्जू	ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल अलवर	फिजियोलोजी	प्रस्ताव ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल अलवर से प्रेषित करावे। प्राप्त बॉण्ड के प्रथम पृष्ठ पर चिकित्सक के स्वयं के हस्ताक्षर

				अंकित नहीं है। प्राप्त बॉण्ड में गवाहों का नाम एवं पूर्ण स्थाई पता अंकित नहीं है।
69	डॉ० मनीषा चौधरी	सामान्य चिकित्सालय सवाईमाधोपुर	डीएनबी (टीबी एण्ड चेस्ट)	प्राप्त बॉण्ड के प्रथम पृष्ठ पर चिकित्सक के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

अतः उक्त चिकित्सकों से आक्षेपों की पूर्ति करवाई जाकर मूल ही निदेशालय को भिजवाने का कष्ट करें जिससे नियमानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा सके।

(डॉ० रवि प्रकाश शर्मा)
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 25/06/2026

क्रमांक : ई/चिअ/राजपत्रित/पीजी/2026/230

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रभारी संवरर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाते हुए सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज की आईडी पर अपलोड करावें।
2. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(डॉ० रवि प्रकाश शर्मा)
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर